

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 26/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No : 2021/185

1. श्री नरेश कुमार पिता मांगीलाल, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी मुणवास, कैलाशपुरी, तहसील बडगांव।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षी

उपस्थित-1. श्री नाथुलाल गर्ग, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक 10.08.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विकरणी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर (राज.) में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1478/327 रकबा 1.1331 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि खातेदार अमरा पिता भगा भील के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को मुझ प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर ली गई हैं। नामान्तरकरण नहीं होने से भूमि खातेदार के नाम ही दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त भूमि पर मैं प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं। उक्त भूमि मुख्य सडक से अन्दर की तरफ कुछ दूरी पर स्थित हैं। मुझ प्रार्थी को अपनी भूमि से मुख्य सडक पर आने जाने के लिए सरकारी बिलानाम जमीन आराजी नम्बर 327 में से होकर आना जाना पडता है। मौके पर उक्त जमीन में से होकर कच्चा रास्ता बना हुआ हैं। उक्त रास्ते का खातेदार सदियों से अपने खेत पर आने जाने के लिए उपयोग करता आया है। क्रय दिनांक से मैं प्रार्थी अपने खेत से मुख्य सडक तक आने जाने के लिए उपयोग करता आ रहा हूं लेकिन राजस्व रेकार्ड में रेकार्डेड रास्ता नहीं होने से मुझ प्रार्थी को काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं।



3. यह कि भूमि वर्तमान में सरकारी होने से मौके पर रास्ता तो बना हुआ है लेकिन रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से मुझ प्रार्थी को आये दिन काफी कठिनाई व परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुझ प्रार्थी को कानूनन रेकार्डेड रास्ता दिलाये जाने की कृपा करावें ताकि मैं अपने खेत तक ट्रेक्टर, बैलगाड़ी इत्यादि ला ले जा सकुं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 29/06/2021 को उत्पन्न हुआ, जब पटवारी द्वारा बताया कि जिस रास्ते से आ जा रहे हो वह रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं है व एस.डी.ओ. साहब से पैसे जमा करा कर कानूनी रूप से रास्ते का आदेश लाना पड़ेगा तब से निरन्तर जारी हैं।
5. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1478/327 में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 327 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जावें। अन्य कोई दाद हो तो मुझ प्रार्थी को दिलाई जावें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की। राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर बिन्दुवार रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया।
7. हमने प्रार्थी अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वर्तमान जमाबन्दी की नकल पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जाने पर सहमति व्यक्त की।
8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 1478/327 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया है। जो न्यूनतम दूरी का है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौड़ाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 327 में से 0.1590 हेक्टेयर किस्म मगरी भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही है जो 176 मीटर लम्बाई व 30 फीट चौड़ी है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 89,131/- अक्षरे नवासी हजार एक सौ इकतीस रूपयें प्रतिबीघा है। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.1590 हेक्टेयर की कुल कीमत 87,534/- अक्षरे सत्तासी हजार पाँच सौ चौतीस रूपयें होना बताया है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा विकरणी पटवार क्षेत्र विजनवास की आराजी नम्बर 1478/327 में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 327 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता है। जिसका प्रार्थी लम्बे समय से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करना बताया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 176 मीटर लम्बाई व 30 फीट चौड़ाई का आराजी नम्बर 327 में से 0.1590 हेक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला 0.1590 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

10. प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तह. मावली की आराजी नम्बर 1478/327 रकबा 1.1331 हेक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 327 रकबा 6.7178 हेक्टेयर में से 0.1590 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावे। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 89,131/- अक्षरे नवासी हजार एक सौ इकतीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.1590 हेक्टेयर की कुल कीमत 87,534 का दुगुना 1,75,068/- रूपयें एक लाख पिचहतर हजार अड़सठ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावे। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली